रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

239] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 1970/आषाढ़ 9, 1892

239] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 1970/ASADHA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June 1970

S.O. 2298.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, in consultation with State Government Rajasthan hereby appoints the National Seeds Corporation as a Certification Agency for the State of Rajasthan up to the 31st October, 1970.

[No. F. 7(44)/69-SD.]

S. M. H. BURNEY, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 जून, 1970

एस० ओ० 2298.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 34) के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से 31 अक्तूबर,

1970 तक के लिये राष्ट्रीय बीज निगम को राजस्थान राज्य के लिये एतद्द्वारा प्रमाणीक अभिकरण के रूप मे नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 7 (44)/69-बीज विकास

मै० मु० ह० बर्नी, संयुक्त सचि

I C D
1102

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970